

37. तीजा पुत्री पूर्णराम पुत्र मोतीराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
38. मोहरसिंह पुत्र साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
39. रामचन्द्र पुत्र साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
40. मीरा पुत्री पुत्र साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
41. रेशमी पुत्री साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
42. चन्दो पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
43. सुनीता पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
44. सोनूबाई पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
45. मानुबाई पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
46. प्रभुराम पुत्र रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
47. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— असल प्रतिवादीगण
दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: ०८/०७/२०२५

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी जरई खाता स० 73/64 के प०न० 329/408 मु०न० 38 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्ट 20 की 0.2530 हैक्ट कुल 0.5060 हैक्ट भूमि वाके कुरडाराम, बलाराम, चिमना, पि० धन्नाराम कौम नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी।

पूर्ण पुत्र मोती कौम नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर व बलाराम, चिमनाराम कुरडाराम, पि० धन्नाराम जाति नायक निवासी रामसरा ने दिनांक 2.11.1979 को 3500/- रूपये तीन हजार पांच सौ रूपये में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के पिता व पति महेन्द्र पुत्र बटुराम जाति बाजीगर साकिन रामसरा तहसील नोहर को जरिये रजि. बैयनामा फरोख्त कर दी तथा उक्त भूमि का कब्जा उसी समय क्रेता महेन्द्रराम पुत्र बटुराम को सौंप दिया था खरीद के वक्त से वादग्रस्त भूमि आराजी जरई प०न० 329/408 मु०न० 38 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्ट व 20 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.5060 हैक्ट रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर का पहले वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के पिता व पति का चला आया तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के पिता महेन्द्र पुत्र बटुराम के दिनांक 22.7.2017 को फौत होने के पश्चात उक्त भूमि पर वादीगण स० 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त भूमि का महेन्द्र पुत्र बटुराम खरीद शुद्धा खातेदार काश्तकार था तथा उसके फौत हाने के पश्चात वादीगण स० 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 उसके वारिसान उसकी जगह हकदार व खातेदार काश्तकार है। आराजी जरई प०न० 329/408 मु०न० 38 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्ट व 20 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.5060 हैक्ट रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के विक्रेतागण पूर्ण आदि के सारे हक व अधिकार क्रेता महेन्द्रराम पुत्र बटुराम में हस्तान्तरित हो चुके थे तथा वह विक्रेतागण की जगह उक्त खरीद शुद्धा भूमि का दिनांक 2.1.1979 से ही खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा महेन्द्र पुत्र बटुराम के फौत होने के पश्चात उसकी जगह उसके


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वारिसान वादीगण सं० 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 हकदार व खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमि आराजी जरई प०न० 329/408 मु०न० 38 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्ट व 20 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.5060 हैक्ट रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर मृतक पूर्ण पुत्र मोतीराम व बलाराम, चिमना व कुरडाराम पि० धन्नाराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर का कोई हक व हिस्सा था तथा ना ही मृतक विक्रेतागण के वारिसान प्रतिवादीगण सं० 5 ता 46 का कोई हक व हिस्सा है मगर वादग्रस्त भूमि अब भी मृतक विक्रेतागण पूर्ण के आदि के नाम गलत दर्ज है जिससे प्रतिवादीगण सं० 5 ता 46 उक्त गलत इन्द्राज जमाबन्दी के आधार पर वादग्रस्त भूमि मृतक विक्रेतागण की जगह अपने नाम विरास्तन के आधार पर दर्ज करा उक्त वादीगण संख्या 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के पिता व पति की खरीद शुद्धा भूमि को किसी अन्य की फरोख्त करने की योजना बना रहे हैं। जिससे वादीगण सं० 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के खातेदारी हकुक का हनन होता है जिससे वादीगण अपने खातेदारी हकुक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरुस्त करा वादग्रस्त भूमि आराजी जरई प०न० 329/408 मु०न० 38 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्ट व 20 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.5060 हैक्ट रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर को बैयनामा दिनांक 2.1.1979 के आधार पर वादीगण सं. 1 ता 6 अपने आपको व तरतीबी प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 दसों को मृतक केता महेन्द्र पुत्र बटुराम यानि अपने पिता व पति की जगह बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवापाने तथा मृतक विक्रेतागण पुर्ण पुत्र मोती व बलाराम चिमना कुरडाराम पि० धन्ना जाति नायक साकिन रामसरा तहसील नोहर का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 5 ता 46 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 46 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तरतीबी प्रतिवादीगण को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 47 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 रोही मौजा 20 जेएसएन, मृत्यु प्रमाण पत्र महेन्द्र राम, वारिसान, चित्रप्रति बैयनामा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।


a1
उपस्थित अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मोतीराम व बलाराम, चिमना व कुरडाराम पि० धन्नाराम जाति नायक के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि पूर्ण पुत्र मोती कौम नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर व बलाराम, चिमनाराम कुरडाराम, पि० धन्नाराम जाति नायक निवासी रामसरा ने दिनांक 2.11.1979 को 3500/- रूपये तीन हजार पांच सौ रूपये में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के पिता व पति महेन्द्र पुत्र बटुराम जाति बाजीगर साकिन रामसरा तहसील नोहर को जरिये रजि. बैयनामा फरोख्त कर दी तथा उक्त भूमि का कब्जा उसी समय क्रेता महेन्द्रराम पुत्र बटुराम को सौंप दिया था खरीद के वक्त से वादग्रस्त भूमि आराजी जरई प०न० 329/408 मु०न० 38 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्ट व 20 की 0.2530 हैक्ट कुल तादादी 0.5060 हैक्ट रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर का पहले वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के पिता व पति का चला आया तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के पिता महेन्द्र पुत्र बटुराम के दिनांक 22.7.2017 को फौत होने के पश्चात उक्त भूमि पर वादीगण स० 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त भूमि का महेन्द्र पुत्र बटुराम खरीद शुद्धा खातेदार काश्तकार था तथा उसके फौत हाने के पश्चात वादीगण स० 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 उसके वारिसान उसकी जगह हकदार व खातेदार काश्तकार है। बैयनामा दिनांक 2.1.1979 के आधार पर वादीगण सं. 1 ता 6 अपने आपको व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 1 ता 4 दसों को मृतक केता महेन्द्र पुत्र बटुराम यानि अपने पिता व पति की जगह बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवापाने तथा मृतक विक्रेतागण पुर्ण पुत्र मोती व बलाराम चिमना कुरडाराम पि० धन्ना जाति नायक साकिन रामसरा तहसील नोहर का नाम कलमजन करवा कर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० खाता स० 73/64 के प०न० 329/408 मु०न० 38 के किला न० 19 की 0.2530 हैक्ट 20 की 0.2530 हैक्ट कुल 0.5060 हैक्ट भूमि पूर्ण पुत्र मोतीराम व कुरडाराम, बलाराम, चिमना, पि० धन्नाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त वाद भूमि वादीगण के पिता महेन्द्रराम द्वारा पूर्ण पुत्र मोतीराम, बलाराम से जरिये बैयनामा खरीद की गई है लेकिन मुताबिक बैयनामा वादी के पिता के नाम दर्ज नहीं हुई है वादी के पिता महेन्द्रराम का देहान्त हो चुका वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के मुताबिक महेन्द्रराम के जायज वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 जेएसएन


उपस्थित अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के प0न0 329/408 मु0न0 38 के किला न0 19 की 0.2530 हैक्ट व 20 की 0.2530 हैक्ट भूमि में पूर्ण पुत्र मोतीराम व बलराम, विमनाराम वि0 धन्नाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 6 व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिय के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का रथगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिब्रगी जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

35. गुलाबी पुत्री पूर्णराम पुत्र मोतीराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
36. गीता पुत्री पूर्णराम पुत्र मोतीराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
37. तीजा पुत्री पूर्णराम पुत्र मोतीराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
38. मोहरसिंह पुत्र साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
39. रामचन्द्र पुत्र साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
40. मीरा पुत्री पुत्र साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
41. रेशमी पुत्री साधुराम पुत्र पूर्णराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
42. चन्दो पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
43. सुनीता पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
44. सोनूबाई पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
45. मानुबाई पुत्री रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
46. प्रभुराम पुत्र रामकुमार पुत्र साधुराम जाति नायक निवासी रामसरा तहसील नोहर।
47. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— असल प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 691 सन 2019 निर्णय दिनांक 08/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वारसरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 329/408 मु0न0 38 के किला न0 19 की 0.2530 हैक्ट व 20 की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में पूर्ण पुत्र मोतीराम व बलराम, चिमनाराम पि0 धन्नाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर